दृष्टि The Vision

Mains Exam Series

टू द पॉइंट

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा की दृष्टि से पिछले
एक वर्ष के घटनाक्रम पर सटीक व बिंदुवार सामग्री

संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोगों की मुख्य परीक्षा हेतु अचूक पाठ्य-सामग्री

Think IAS

दृष्टि The Vision

Think Drishti

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम

(Distance Learning Programme)

इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप घर बैठे 'दृष्टि' द्वारा तैयार परीक्षोपयोगी पाठ्य-सामग्री मंगवा सकते हैं। यह पाठ्य-सामग्री विशेष रूप से ऐसे अभ्यर्थियों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है जो दिल्ली आकर कक्षाएँ करने में असमर्थ हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सिविल सेवा और राज्य सेवा (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड पी.सी.एस.) परीक्षाओं की पाठ्य-सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। यह पाठ्य-सामग्री प्रत्येक परीक्षा के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुरूप है और इसे विभिन्न समसामयिक घटनाओं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं समितियों की रिपोर्टों के माध्यम से अद्यतन (up-to-date) किया गया है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा के लिये (हिंदी माध्यम में)

सामान्य अध्ययन
(प्रारंभिक परीक्षा)
(19 बुकलेट्स) ₹10,000/-

सामान्य अध्ययन
(मुख्य परीक्षा)
(26 बुकलेट्स) ₹13,000/-

इतिहास (वैकल्पिक विषय)
(12 बुकलेट्स) ₹7,000/-

सामान्य अध्ययन + सीसैट
(प्रारंभिक परीक्षा)
(27 बुकलेट्स) ₹13,000/-

सामान्य अध्ययन
(प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(31 बुकलेट्स) ₹15,000/-

दर्शनशास्त्र (वैकल्पिक विषय)
(4 बुकलेट्स) ₹5,000/-

सामान्य अध्ययन + सीसैट (प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(39 बुकलेट्स) ₹17,500/-

हिन्दी साहित्य (वैकल्पिक विषय)
(13 बुकलेट्स) ₹7,000/-

उत्तर प्रदेश पी.सी.एस. (UPPCS) के लिये

सामान्य अध्ययन + सीसैट
(प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(33 + 10 बुकलेट्स) (₹15,500/-)

सामान्य अध्ययन (प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(33 बुकलेट्स) (₹14,000/-)

मध्य प्रदेश पी.सी.एस. (MPPCS) के लिये

सामान्य अध्ययन + सीसैट
(प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(28 + 8 बुकलेट्स) (₹11,000/-)

सामान्य अध्ययन (प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(28 बुकलेट्स) (₹10,000/-)

राजस्थान पी.सी.एस. (RAS/RTS) के लिये

सामान्य अध्ययन (प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(34 बुकलेट्स) ₹10,500/-

बिहार पी.सी.एस. (BPSC) के लिये

सामान्य अध्ययन (प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(25 बुकलेट्स) ₹10,000/-

उत्तराखंड पी.सी.एस. (UKPSC) के लिये

सामान्य अध्ययन
(प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(28 बुकलेट्स) (₹10,000/-)

सामान्य अध्ययन + सीसैट
(प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(28 + 8 बुकलेट्स) (₹11,000/-)

छत्तीसगढ़ पी.सी.एस. (CGPSC) के लिये

सामान्य अध्ययन
(प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(35 बुकलेट्स) (₹14,000/-)

सामान्य अध्ययन + सीसैट
(प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(35 + 6 बुकलेट्स) (₹15,500/-)

विस्तृत जानकारी के लिये कॉल करें

8448485520, 87501-87501, 011-47532596

टू द पॉइंट

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा की दृष्टि से पिछले
एक वर्ष के घटनाक्रम पर सटीक व बिंदुवार सामग्री

दृष्टि पब्लिकेशन्स

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष: 011-47532596, 87501 87501

Website:
www.drishtipublications.com, www.drishtiias.com
E-mail :
booksteam@groupdrishti.com

संस्करण - जुलाई 2019

मूल्य : ₹ 200

प्रकाशक

दृष्टि पब्लिकेशन्स,
(A Unit of VDK Publications Pvt. Ltd.)
641, प्रथम तल,
डॉ. मुखर्जी नगर,
दिल्ली-110009

विधिक घोषणाएँ

- इस पुस्तक में प्रकाशित सूचनाएँ, समाचार, ज्ञान एवं तथ्य पूरी तरह से सत्यापित किये गए हैं। फिर भी, यदि कोई जानकारी या तथ्य गलत प्रकाशित हो गया हो तो प्रकाशक, संपादक या मुद्रक उससे किसी व्यक्ति-विशेष या संस्था को पहुँची क्षति के लिये ज़िम्मेदार नहीं है।
- हम विश्वास करते हैं कि इस पुस्तक में छपी सामग्री लेखकों द्वारा मौलिक रूप से लिखी गई है। अगर कॉपीराइट उल्लंघन का कोई मामला सामने आता है तो प्रकाशक को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।
- सभी विवादों का निपटारा दिल्ली न्यायिक क्षेत्र में होगा।
- **© कॉपीराइट :** दृष्टि पब्लिकेशन्स (A Unit of VDK Publications Pvt. Ltd.), सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी अंश का प्रकाशन अथवा उपयोग, प्रतिलिपीकरण, ऐसे यंत्र में भंडारण जिससे इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता हो या स्थानान्तरण, किसी भी रूप में या किसी भी विधि से (इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो-प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या किसी अन्य प्रकार से) प्रकाशक की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकता।
- एम.पी. प्रिंटर्स, बी-220, फेज़-2, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित।

दो शब्द

प्रिय पाठको,

निश्चित ही आप लोग नई ऊर्जा के साथ मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट गए होंगे। आप पाठकगण सिविल सेवा मुख्य परीक्षा की जटिलता और इसके विस्तृत पाठ्यक्रम से भी भली-भाँति परिचित होंगे, साथ ही आपके पास इस चुनौती से निपटने की रणनीति भी होगी। प्रस्तुत पुस्तक 'टू द पॉइंट' का उद्देश्य भी यही है कि आप सफलता तक की दूरी आसानी से तय कर जाएँ। आपसे यह साझा करते हुए हमें अतीव प्रसन्नता हो रही है कि 'टू द पॉइंट' के पिछले सभी संस्करणों को आप पाठकों का भरपूर स्नेह प्राप्त हुआ है। हमें ऐसे अनेक संदेश प्राप्त हुए जिनमें अभ्यर्थियों ने अपनी सफलता में इस पुस्तक के महत्त्व को रेखांकित किया है। हम उम्मीद करते हैं कि वर्तमान संस्करण भी आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने में सफल हो सकेगा।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2013 में आई.ए.एस. (मुख्य) परीक्षा के पाठ्यक्रम में व्यापक बदलाव किये गए थे। इससे पहले मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन के दो प्रश्नपत्र (300-300 अंकों के) हुआ करते थे, जबकि वर्तमान में इनकी संख्या चार (250-250 अंकों के) हो गई है। स्पष्ट है कि वर्तमान में मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो गई है। एक ही वैकल्पिक विषय रह जाने के कारण इस बात को और अधिक बल मिला है कि मुख्य परीक्षा में सफलता सामान्य अध्ययन में बेहतर अंक लाए बगैर संभव नहीं है। वर्ष 2013 के बाद की मुख्य परीक्षाओं में सामान्य अध्ययन से पूछे गए प्रश्नों की प्रवृत्ति पर विचार करें तो साफ नज़र आता है कि इनमें से अधिकांश प्रश्न करेंट अफेयर्स पर आधारित रहे हैं। हमें इस तथ्य को भी नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिये कि करेंट अफेयर्स ही वह निर्णायक खंड है जिसके आधार पर हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी अंग्रेज़ी माध्यम के अभ्यर्थियों की तुलना में पीछे रह जाते हैं। हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों की इन्हीं परेशानियों को ध्यान में रखते हुए यह पुस्तक तैयार की गई है। इस पुस्तक में कुल सात खंड हैं। ये सभी खंड मिलकर सामान्य अध्ययन के लगभग उस संपूर्ण पाठ्यक्रम को समाविष्ट करते हैं जहाँ से करेंट अफेयर्स पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं।

सामान्य अध्ययन के प्रश्नपत्रों की प्रकृति ऐसी होती है कि आपको काफी कम समय में ढेर सारे उत्तर लिखने होते हैं। ऐसे में उच्च अंक तभी प्राप्त किये जा सकते हैं जब न केवल आप अधिक-से-अधिक प्रश्नों को हल करने में सहज हों बल्कि आपकी सामग्री भी इतनी व्यवस्थित हो कि आप उसे नियत समय में लिख सकें। 'टू द पॉइंट' पुस्तक का मकसद भी आप तक 'व्यवस्थित' सामग्री प्रेषित करना ही है। इस पुस्तक के माध्यम से अभ्यर्थी कम समय में विषय-संबद्ध स्तरीय और प्रामाणिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही कम पृष्ठों (लगभग 170) में समग्र विषय को समाहित किये जाने के फलस्वरूप अंतिम समय में इसे रिवाइज़ करना भी आसान होगा।

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में प्रश्नों की प्रकृति तथा प्रवृत्ति के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि परीक्षा में करेंट अफेयर्स के अंतर्गत पिछले एक-डेढ़ वर्ष की महत्त्वपूर्ण घटनाओं एवं मुद्दों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। अत: इस बात की आवश्यकता होती है कि मुख्य परीक्षा से पहले पिछले एक-डेढ़ वर्ष के महत्त्वपूर्ण मुद्दे संकलित किये जाएँ और इनकी समुचित तैयारी की जाए। पुस्तक के इन सात खंडों में महत्त्वपूर्ण मुद्दों एवं घटनाओं को सटीक, संक्षिप्त एवं बिंदुवार ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इन खंडों को तैयार करने के लिये 'दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' तथा दृष्टि आई.ए.एस. की वेबसाइट को मुख्य आधार बनाया गया है। साथ ही पिछले एक-डेढ़ वर्ष के दौरान 'द हिंदू' तथा 'द इंडियन एक्सप्रेस' जैसे समाचारपत्रों में प्रकाशित लेखों के गहन शोध द्वारा संबद्ध तथ्य संकलित किये गए हैं। सिविल सेवा की आगामी मुख्य परीक्षा के लिये यह पुस्तक संजीवनी की तरह है। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में भाग नहीं ले रहे हैं, उनके लिये भी यह समान रूप से उपयोगी है क्योंकि आगे आने वाली परीक्षाओं में शामिल होने से पहले यदि आप स्वयं को उनके अनुरूप ढालने का प्रयत्न करें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आप अपने पहले प्रयास में ही सफल हो सकते हैं।

मुझे विश्वास है कि पुस्तक का यह संस्करण आपके लिये उपयोगी सिद्ध होगा। मेरा निवेदन है कि आप इसे सिर्फ पाठक के रूप में न पढ़ें, बल्कि आलोचक की नज़र से भी पढ़ें। **अगर आपको इसमें कोई भी कमी दिखे तो अपनी बात बेझिझक '8130392355' नंबर पर वाट्सएप मैसेज से भेज दें।** आपकी टिप्पणियों के आधार पर हम पुस्तक के आगामी संस्करणों को और बेहतर बना सकेंगे।

साभार,

प्रधान संपादक

दृष्टि पब्लिकेशन्स

अनुक्रम

राजव्यवस्था 1–28

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2019) का मसौदा
- जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 और अनुच्छेद-370
- 13 पॉइंट रोस्टर बनाम 200 पॉइंट रोस्टर
- सीबीआई बनाम राज्य
- लोकपाल
- संविधान (102वाँ संशोधन) अधिनियम, 2018
- डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग एवं अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक
- प्रशासन में भ्रष्टाचार : कारण और निवारण
- प्रेस की स्वतंत्रता का मुद्दा
- नैदानिक परीक्षण हेतु नियम
- गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून, 1967
- उच्चतर न्यायपालिका में पारदर्शिता
- राजद्रोह पर पुनर्विचार
- अनुचित मुकदमा
- समान नागरिक संहिता
- RTE (संशोधन) विधेयक, 2018
- सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2016
- आर्थिक आधार पर आरक्षण : विविध पहलू
- विश्वसनीयता का संकट : फेक न्यूज़
- राष्ट्रीय आकांक्षा और लोकतंत्र
- ट्रांसजेंडर विधेयक
- 17वीं लोकसभा के चुनाव और चुनाव आयोग
- नागरिकता संशोधन विधेयक : विविध पहलू

सामाजिक मुद्दे तथा सामाजिक न्याय.....29–47

- तीन तलाक
- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एन.आर.सी.)
- जेल सुधार
- सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भारतीय शिक्षा
- एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम
- वन नेशन वन राशन कार्ड
- स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट-2019
- ऑक्सफैम रिपोर्ट
- श्रेयस योजना
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM) योजना
- अल्पसंख्यक दर्जे पर बहस
- भारत के आर्थिक और सामाजिक परिवेश में महिलाएँ
- मातृत्व अवकाश प्रोत्साहन योजना
- भारत में जनजातियों की स्थिति
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY)
- सेवा भोज योजना
- युवा सहकार उद्यम सहयोग एवं नवाचार योजना

अंतर्राष्ट्रीय संबंध.....48–79

- शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन 2019
- भारत-इज़राइल संबंध
- इस्लामिक सहयोग संगठन
- भारत-बिम्सटेक
- नेबरहुड फर्स्ट : एक समग्र अवलोकन
- ऊर्जा सुरक्षा : बदलते भारत की आवश्यकता
- बदलती अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और नैतिकता
- वेनेज़ुएला संकट : उभरती हुई वैश्विक समस्या
- जिनेवा कन्वेंशन
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम सम्मेलन
- क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP) से संबंधित मुद्दे
- FATF की 10 बिंदु योजना
- BRI परियोजना और भारत की चिंता
- अमेरिकी प्रतिबंध व भारत-ईरान संबंध
- ASEM शिखर सम्मेलन : वैश्विक चुनौतियों के लिये वैश्विक भागीदार
- भारत-रूस : 21वीं सदी के साझेदार
- भारत-यूरोपीय संघ संबंधों के लिये नया रणनीति पत्र

- USMCA
- हेग कन्वेंशन
- भारत-मध्य एशिया
- अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन
- भारत-नेपाल संबंधों में उभरती चुनौतियाँ
- ब्रिक्स का 10वाँ शिखर सम्मेलन-2018
- भारत-यूएन (CCIT)
- भारत-अमेरिका 2 + 2 वार्त्ता

अर्थव्यवस्था 80–114

- जीएसटी के दो वर्ष : सफलताएँ एवं चुनौतियाँ
- फेसबुक क्रिप्टोकरेंसी 'Libra'
- जनरलाइज़्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस (GSP)
- अमेरिका-चीन 'ट्रेड वॉर' का भारत पर प्रभाव
- गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ
- यूनिवर्सल बेसिक इनकम : विविध आयाम
- राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019
- ई-कॉमर्स नीति मसौदा
- स्टार्टअप्स और एंजेल टैक्स
- गिग इकॉनमी की प्रासंगिकता
- नीति आयोग की दूसरी डेल्टा रैंकिंग
- MSMEs हेतु सहयोग एवं संपर्क कार्यक्रम
- लघु वित्त बैंक
- राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण (NFRA) नियम
- कृषि निर्यात नीति, 2018
- प्रधानमंत्री जन धन योजना
- IFSCs प्राधिकरण विधेयक,2019
- नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC)
- ऑपरेशन ग्रीन्स के लिये दिशा-निर्देश
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान)
- पीएम-आशा
- फिनटेक टेक्नोलॉजी
- तीन बैंकों का विलय
- भारतीय रिज़र्व बैंक की स्वायत्तता संबंधी विवाद
- डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट-2019
- मोस्ट फेवर्ड नेशन
- मानव विकास सूचकांक
- मत्स्यपालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष
- चौथी औद्योगिक क्रांति के केंद्र की शुरुआत
- भारतीय सांख्यिकी प्रणाली का पुनर्गठन
- IL&FS संकट
- भारत में कौशल विकास
- राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी..... 115–136

- चंद्रयान-2 मिशन
- गगनयान
- ब्लॉकचेन तकनीक
- 3D प्रिंटिंग : भविष्य की तकनीक
- सस्ती दवाओं के लिये रोडमैप या जेनेरिक दवाएँ तथा इससे संबंधित चिंताएँ
- डिजिटल वॉर : नए समय की चुनौती
- भविष्य का भारत : विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता : विविध पहल
- CRISPR
- राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति-2019
- सॉफ्टवेयर उत्पादों पर राष्ट्रीय नीति, 2019
- राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018
- कंप्यूटिंग का बदलता दौर
- मेघालय युग : एक नया भू-वैज्ञानिक युग
- ब्लैक होल एवं इएचटी
- न्यूट्रिनो वेधशाला

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी 137–157

- जल संकट : कारण और निवारण
- वैश्विक आकलन रिपोर्ट-2019
- भारत में फायर सेफ्टी रेग्युलेशंस
- फानी चक्रवात एवं आपदा प्रबंधन
- स्वच्छ सर्वेक्षण (शहरी) 2019
- पर्यावरण बनाम विकास
- चुंबकीय उत्तरी ध्रुव प्रवाह
- मैडेन-जूलियन ऑसीलेशन
- स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट रिपोर्ट-2019
- प्रधानमंत्री जी-वन योजना
- राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति-2018
- गिर के एशियाई शेर
- मृदा जैव विविधता एटलस
- 'नेट ज़ीरो एनर्जी' इमारतों हेतु ग्रीन रेटिंग प्रणाली
- राष्ट्रीय वन नीति-2018 का मसौदा
- राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति
- जलवायु परिवर्तन सम्मेलन : कॉप 24
- STAPCOR 2018
- बांध सुरक्षा विधेयक, 2018

सुरक्षा 158–170

- सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम (AFSPA)
- सुदृढ़ रक्षा नीति की आवश्यकता
- आतंकवाद : एक वैश्विक समस्या
- नक्सलवाद : आंतरिक सुरक्षा के लिये एक बड़ी चुनौती
- सीमा प्रबंधन में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी
- मिशन शक्ति : अंतरिक्ष में भारत का 'शक्ति' प्रदर्शन
- युद्धक भूमिका में महिलाएँ
- सरकारी तंत्र द्वारा निगरानी

1 राजव्यवस्था (Polity)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2019) का मसौदा

चर्चा में क्यों?

- 31 मई, 2019 को डॉ. के. कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नया प्रारूप प्रस्तुत किया। यह ड्राफ्ट पॉलिसी एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, एकाउंटेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी के आधारभूत स्तंभों पर बनाई गई है।

नई शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों?

- भारत की विशाल जनसंख्या की वर्तमान और भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये 1992 में संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव की आवश्यकता है।
- नई शिक्षा नीति को गुणवत्ता, शिक्षा नवाचार और अनुसंधान के संदर्भ में आवश्यकताओं की बदलती गतिशीलता को पूरा करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- इस नीति का उद्देश्य छात्रों को आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करके भारत को ज्ञान महाशक्ति बनाना है।
- यह नीति विज्ञान प्रौद्योगिकी, शिक्षाविदों और उद्योगों में मानव शक्ति की कमी को दूर करने पर भी ध्यान केंद्रित करती है।

मुख्य सिफारिशें

- इस मसौदे के तहत शिक्षा के अधिकार अधिनियम के दायरे को विस्तृत किया गया है, साथ ही स्नातक पाठ्यक्रमों को भी संशोधित किया गया है।
- मसौदा नीति में लिबरल आर्ट्स एजुकेशन के चार वर्षीय कार्यक्रम को फिर से शुरू करने तथा एम.फिल प्रोग्राम को रद्द करने का प्रस्ताव किया गया है।
- नये पाठ्यक्रम में 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों को कवर करने के लिये 5 + 3 + 3 + 4 डिज़ाइन (आयु वर्ग 3-8 वर्ष, 8-11 वर्ष, 11-14 वर्ष, 14-18 वर्ष) तैयार किया गया है। इसमें बुनियादी शिक्षा से लेकर सेकेंडरी शिक्षा तक की पढ़ाई शामिल है।
- यह मसौदा नीति शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 1986 की धारा-12(1)(c) जो निजी स्कूलों में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े विद्यार्थियों के समावेशन की बात करता है, को और अधिक बेहतर क्रियान्वयन के साथ लागू करने की बात करता है।

अन्य महत्त्वपूर्ण सिफारिशें

- 10 वीं से 12 वीं कक्षा के छात्रों के लिये 'लचीली और मॉड्यूलर' बोर्ड परीक्षाओं के प्रावधान के साथ स्कूल शिक्षा में एक सेमेस्टर प्रणाली का आरंभ।
- उच्च शिक्षा संस्थानों में चार साल के स्नातक कार्यक्रम की शुरुआत और मौजूदा 3 वर्षीय बी.ए, बीएससी, बी.कॉम और बी. वोक कार्यक्रमों के पुनर्गठन के साथ छात्रों को 'एकाधिक निकास और प्रवेश विकल्प' प्रदान करने के प्रावधानों के साथ सुझाव भी दिये गए हैं।
- एक 'राष्ट्रीय शिक्षा आयोग' की स्थापना का भी मसौदे में प्रावधान है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे।
- एक 'राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक प्राधिकरण' (NHERA) की स्थापना जो UGC, AICTE और अन्य सभी निकायों को इसमें शामिल करेगी।
- उच्च शिक्षा संस्थानों के संकाय सदस्यों के व्यावसायिक विकास के लिये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा।
- विदेशों में भारतीय संस्थानों की संख्या में वृद्धि करने के साथ-साथ दुनिया के 200 विश्वविद्यालयों को भारत में अपनी शाखाएँ स्थापित करने की अनुमति देना। इसका मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना है।
- स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल होने के लिये गणित, खगोल विज्ञान, दर्शन, चिकित्सा के लिये प्राचीन ज्ञान प्रणालियों के योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा।

विवाद का बिंदु

इस मसौदे के जिस हिस्से पर सबसे अधिक विवाद हुआ वो था त्रिभाषा फॉर्मूला। अर्थात् स्कूली शिक्षा के समय से ही तीन भाषाओं को सीखने की प्रवृत्ति पर ज़ोर देना। इसके तहत बुनियादी शिक्षा का माध्यम मातृभाषा तय किया गया तथा इस प्रकार विद्यार्थियों से अपेक्षा की गई कि वो स्थानीय भाषा/मातृभाषा, हिंदी तथा अंग्रेज़ी भाषा को सीखें। यदि किसी की मातृभाषा हिंदी है तो वो कोई अन्य भारतीय भाषा सीखे। मसौदे के इस प्रावधान को दक्षिण भारतीय राज्यों ने हिंदी थोपने का प्रयास कहकर विरोध किया। हालाँकि सरकार ने ऐसे किसी भी प्रयास को लागू करने की संभावना से इंकार किया।

राज्यों की आपत्ति

- तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, कर्नाटक तथा उत्तर-पूर्व भारत के राज्य हिंदी सिखाने के लिये तैयार नहीं हैं।
- वहीं दूसरी ओर हिंदी भाषी राज्य अपने स्कूल के पाठ्यक्रम में किसी भी दक्षिण भारतीय भाषा को शामिल करने के पक्षधर नहीं हैं।
- राज्य सरकारों का यह भी कहना है कि उनके पास इस त्रिभाषा सूत्र को लागू करने के लिये पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। ■■■

न्यायपालिका में 'अंकल सिंड्रोम'

जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता नहीं होने और इनमें परिवारवाद को बढ़ावा देने का मुद्दा समय-समय पर चर्चा में आ जाता है, जिसे 'अंकल सिड्रोम' कहते हैं। इसमें होता यह है कि जब जज बनाने के लिये अधिवक्ताओं के नाम प्रस्तावित किये जाते हैं तो किसी भी स्तर पर किसी से कोई राय नहीं ली जाती है। इनमें जिन लोगों का नाम प्रस्तावित किया जाता है उनमें से कई पूर्व न्यायाधीशों के परिवार से होते हैं या उनके संबंधी होते हैं। विशेष पहुँच के कारण इनके नामों को प्रस्तावित किया जाता है, जो न्यायपालिका की शुचिता और स्वतंत्रता के हित में नहीं होता। पारदर्शिता के अभाव में न्यायपालिका में नियुक्तियाँ जब निजी संबंधों और प्रभाव के आधार पर की जाती हैं तो न्यायापालिका में इस परंपरा को 'अंकल सिंड्रोम' कहा जाता है।

- कॉलेजियम ने सार्वजनिक जाँच के किसी भी तरीके से खुद को प्रतिरक्षित किया हुआ है। नामांकन प्रक्रिया बेहद गोपनीय है और किसी व्यक्ति का चयन कैसे होता है, इस बारे में बहुत कम जानकारी मिल पाती है। विचार-विमर्श गुप्त रहता है तथा पदोन्नति होने या न होने की वजहें भी गुप्त रहती हैं, जिससे कई बार माहौल बेहद असहज बन जाता है। एक के बाद एक अफवाहों को जन्म मिलता है और न्यायपालिका में काम करने वाले लोगों के बीच गोपनीयता का माहौल बन जाता है।

समय की मांग है पारदर्शिता

- न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांतों और संविधान के प्रावधानों को मिलाकर देखने पर ऐसा आभास होता है कि इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करने का एकमात्र विशेषाधिकार सर्वोच्च न्यायालय का है। वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये देश की सबसे बड़ी अदालत के कामकाज में कोई अन्य संस्थान दखलअंदाज़ी नहीं कर सकता।
- राज्य के शक्तिशाली अंगों के रूप में किसी भी अन्य निकाय की तरह अदालतों का कामकाज भी पारदर्शी और सार्वजनिक जाँच के लिये खुला होना चाहिये। अदालतों की वैधता सत्यापित तथ्यों और कानून के सिद्धांतों के आधार पर उचित आदेश प्रदान करने की उनकी क्षमता पर आधारित है।
- उच्च न्यायपालिका में कानूनी दलीलों का परीक्षण पहले दिये जा चुके निर्णयों या एक ही अदालत की बड़ी बेंचों के निर्णय के आधार पर किया जाता है।
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया था, उसके अनुसार न्यायिक शक्ति सहित अन्य सभी शक्तियाँ एक आधुनिक संविधान में जवाबदेही के अधीन हैं। ऐसे में RTI अधिनियम से पूर्णतया छूट खुले न्याय (Open Justice) के मूल सिद्धांत को खत्म करने के लिये पर्याप्त है।
- न्यायपालिका को RTI कानून के तहत लाने से उत्पन्न होने वाला यह भय आधारहीन है कि इससे न्यायाधीशों की व्यक्तिगत गोपनीयता समाप्त हो जाएगी। इसके लिये RTI कानून में गोपनीयता बनाए रखने के लिये अंतर्निहित सुरक्षा प्रबंध किये गए हैं, जिसके तहत व्यक्तिगत जानकारी को तब तक प्रकट नहीं किया जा सकता, जब तक सार्वजनिक हित में ऐसा करना ज़रूरी न हो।

पारदर्शिता की राह में प्रमुख बाधाएँ

- न्यायपालिका को RTI कानून के तहत लाने में सबसे बड़ा डर यह है कि इससे न्यायाधीशों की व्यक्तिगत गोपनीयता समाप्त हो जाएगी और ऐसी स्थिति में उनकी पक्षपात रहित रहने की प्रवृत्ति और सत्यनिष्ठा प्रभावित होगी।
- न्यायाधीशों के लिये उनकी विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा बेहद महत्त्वपूर्ण है तथा इस पर यदि ज़रा-सी भी आँच आती है या इसे किसी प्रकार की ठेस लगती है तो उनके लिये स्वतंत्र रहकर काम करना मुश्किल हो जाएगा।
- यह आशंका भी जताई जाती है कि इसे संदर्भ से अलग जाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है और अदालत में लाभ उठाने के लिये इसका इस्तेमाल किया जा सकता है या किसी विशेष मामले में न्यायाधीशों की स्वतंत्रता पर सवाल उठाए जा सकते हैं।

कॉलेजियम में आने लगी है कुछ पारदर्शिता

कॉलेजियम पद्धति की गोपनीयता बरकरार रखते हुए इसमें पारदर्शिता लाने के लिये अब उच्च न्यायालयों के जजों को नियमित करने, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों/ न्यायाधीशों के स्थानांतरण और सर्वोच्च न्यायालय में उनकी नियुक्तियों के बारे में कॉलेजियम द्वारा लिये गए निर्णय कारण सहित उस समय शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर डाले जाने लगे हैं, जब इन्हें सरकार की स्वीकृति के लिये भेजा जाता है। यह घोषणा एक नए टैब 'कॉलेजियम रिज़ोल्यूशन' के तहत वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसमें इस बात का उल्लेख होता है कि किसी का चुनाव क्यों किया गया है और किसी की उम्मीदवारी को नकारने के क्या कारण हैं। अब तक यह धारणा व्याप्त है कि कॉलेजियम व्यवस्था में पारदर्शिता का नितांत अभाव है। उच्च न्यायपालिका में नियुक्तियों के मामले में पारदर्शिता लाने के लिये कॉलेजियम ने अपनी सिफारिशों को सार्वजनिक करने का निर्णय लिया है। कॉलेजियम की कार्यवाही को सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर डाला जाएगा और उम्मीदवारों के बारे में आईबी के मूल्यांकन को भी सार्वजनिक किया जाएगा।

आगे की राह

इसमें कोई दो राय नहीं कि न्यायाधीशों द्वारा दिये गए निर्णयों के खिलाफ उन पर इसलिये कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता ताकि वे पूर्ण स्वतंत्र होकर अपना काम करें और भय मुक्त रहें। यही सबसे बड़ी वजह है कि उन्हें अपने कामकाज में स्वतंत्रता और सर्वोच्चता की आवश्यकता होती है। लेकिन न्यायिक कदाचार के मामलों से निपटने और न्यायिक जवाबदेही के विचार को बाधित करने वालों के लिये न्यायपालिका के भीतर एक पारदर्शी प्रणाली का होना अनिवार्य है। इसके लिये कॉलेजियम सिस्टम में आवश्यकतानुसार बदलाव किया जा सकता है। जजों की नियुक्ति और स्थानांतरण जैसे महत्त्वपूर्ण मामलों को न्यायिक परिवार के सीमित दायरे से बाहर निकालकर उसमें आमलोगों को भागीदार बनाने के लिये कॉलेजियम व्यवस्था की निर्णय प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता लाने की बेहद आवश्यकता है। ■■■

2 सामाजिक मुद्दे तथा सामाजिक न्याय (Social Issues and Social Justice)

तीन तलाक

चर्चा में क्यों?

21 जून, 2019 को केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019 लोकसभा में प्रस्तुत किया। यह विधेयक 17वीं लोकसभा का पहला विधायी कार्य है। विधेयक वर्ष के आरंभ में इसी विषय पर राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गए एक अध्यादेश का स्थान लेगा।

पृष्ठभूमि

- तीन तलाक प्रथा मुस्लिम समाज में प्रचलित है। इसे तलाक-ए-बिद्दत, इंस्टेंट तलाक या मौखिक तलाक भी कहा जाता है। इसमें पति के एक ही बार में तीन बार 'तलाक' शब्द के कहने भर से तलाक हो जाता है। हालाँकि, यह तभी मान्य होता है यदि पति-पत्नी दोनों एक-दूसरे को तलाक देने को राज़ी हों। परंतु देखा यह गया है कि लगभग शत् प्रतिशत मामलों में केवल पति की इच्छा पर ही तलाक हो जाता है। इस प्रथा को इस्लामी कानूनों के संग्रह 'शरीयत' में भी मान्यता नहीं दी गई है।
- 2016 में तीन तलाक से पीड़ित कुछ महिलाओं ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के लिये तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेष पीठ का गठन किया गया था।
- न्यायालय में केंद्र सरकार ने इस मामले पर अपना पक्ष रखते हुए लैंगिक समानता और धर्मनिरपेक्षता के आधार पर तीन तलाक का विरोध किया।
- अगस्त 2017 में 'शायरा बानो बनाम भारत संघ और अन्य' मामले में निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने तीन तलाक को असंवैधानिक और कुरान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ बताया। 5 जजों की पीठ ने 2 के मुकाबले 3 मतों से यह फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-14 और 21 का उल्लंघन बताया, जो सभी नागरिकों को समानता व स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं।
- तीन तलाक को निषिद्ध घोषित करते हुए शीर्ष अदालत ने 2002 के 'शमीम आरा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य' मामले का हवाला दिया और कहा कि कुरान में 'तलाक-ए-बिद्दत' का उल्लेख नहीं है। जो बात न धर्म के अनुसार ठीक है न संविधान के अनुसार और न ही लैंगिक न्याय के आधार पर तार्किक है उसे समाज में कैसे प्रचलित रहने दिया जा सकता है?
- न्यायालय ने निर्णय के साथ सरकार को इस संदर्भ में यथाशीघ्र कानून बनाने का भी आदेश दिया।
- सरकार द्वारा दिसंबर 2017 में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक लोकसभा में लाया गया। विधेयक लोकसभा में तो पारित हो गया परंतु राज्यसभा में अटक गया।
- इसके पश्चात सितंबर 2018 में राष्ट्रपति द्वारा तीन तलाक के विषय पर अध्यादेश लाया गया।
- दिसंबर, 2018 में सरकार द्वारा पुनः तीन तलाक प्रतिबंधित करने हेतु विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, जिसे लोकसभा ने पारित भी कर दिया परंतु राज्यसभा में इसे प्रस्तुत किये जा सकने से पहले ही सोलहवीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया और विधेयक व्यपगत हो गया।
- विधेयक के व्यपगत हो जाने के बाद इस मामले में दूसरा अध्यादेश लाया गया। चूँकि संसद सत्र आरंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश को सदन में पारित करवाना अनिवार्य है। इसलिये 17वीं लोकसभा का कार्यकाल आरंभ होने के पश्चात् विधेयक को पुनः लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान

- विधेयक की धारा-3 के अनुसार, "किसी मुस्लिम पति द्वारा उसकी पत्नी के लिये, शब्दों द्वारा, चाहे वे बोले गए हों या लिखित हों या इलेक्ट्रॉनिक रूप में हों या किसी अन्य रीति में, चाहे कोई भी हो, तलाक की कोई उद्घोषणा शून्य और अवैध (Null & Void) होगी।"
- विधेयक की धारा-4 में यह प्रावधान है कि यदि कोई मुस्लिम पति अपनी पत्नी को धारा-3 में वर्णित रीतियों में से किसी एक रीति से तलाक देता है तो उसे तीन वर्ष तक के कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया जा सकेगा।
- विधेयक के अंतर्गत यह प्रावधान भी किया गया है कि कोई ऐसी विवाहित मुस्लिम महिला जिसके लिये तलाक की उद्घोषणा की गई है वह अपने पति से स्वयं के लिये व उस पर आश्रित संतानों के लिये निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की अधिकारी होगी। इस भत्ते की रकम मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित की जाएगी। इसके साथ ही उस महिला को अपनी अवयस्क संतानों की अभिरक्षा (Custody) का भी अधिकार होगा।
- विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, ऐसी मुस्लिम महिला जिसे तलाक दिया गया है उसके द्वारा अथवा रक्त या विवाह से उससे संबंधित

श्रेयस योजना

चर्चा में क्यों?

फरवरी 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (Ministery of Human Resources Development) ने उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के लिये 'श्रेयस' (Scheme for Higher Education Youth in Apprenticeship and Skills-SHREYAS) कार्यक्रम की शुरुआत की। इस योजना से युवाओं को रोज़गार प्राप्त करने और देश की प्रगति में उनके द्वारा योगदान किये जाने में सहायता मिलेगी।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (National Apprenticeship Promotion Scheme-NAPS) के माध्यम से आने वाले सत्र के सामान्य स्नातकों को उद्योग शिक्षुता अवसर प्रदान करने के लिये SHREYAS की योजना शुरुआत की गई है।
- वर्तमान में कौशल के साथ शिक्षा समय की आवश्यकता है। SHREYAS कार्यक्रम इस दिशा में एक बड़ा प्रयास होगा।
- देश के डिग्रीधारी छात्रों को अर्थव्यवस्था की ज़रूरतों के लिये अधिक कुशल, सक्षम, रोज़गारपरक और संगठित किये जाने की आवश्यकता है ताकि वे देश की प्रगति में अधिकतम योगदान कर सकें और लाभकारी रोज़गार भी प्राप्त कर सकें।
- SHREYAS कार्यक्रम में तीन केंद्रीय मंत्रालयों की पहल शामिल है– मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय। साथ ही इस कार्यक्रम में सभी राज्यों से सहयोग की भी अपेक्षा की गई है।
- इस दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय और कौशल विकास के लिये विज्ञान और उद्यमिता के क्षेत्र में 7 अन्य अपरेंटिसशिप पाठ्यक्रम को BBA (Bachelor of Business Administration) और BVoc (Bachelor of Vocation) पाठ्यक्रम के साथ संलग्न किया गया है।
- 6 क्षेत्रीय कौशल परिषदों– सूचना प्रौद्योगिकी (IT), रिटेल (Retail), लॉजिस्टिक्स (Logistics), पर्यटन (Tourism), बैंकिंग वित्तीय सेवाएँ एवं बीमा (Banking Financial Services and Insurance), खाद्य प्रसंस्करण (Food Processing) ने कौशल विकास के क्षेत्र में बढ़त बना ली है।

SHREYAS कार्यक्रम के उद्देश्य

- उच्च शिक्षा प्रणाली सीखने की प्रक्रिया के दौरान छात्रों में रोज़गार प्रासंगिकता की शुरुआत कर उनकी क्षमता में सुधार करना।
- स्थायी तौर पर शिक्षा और उद्योग/सेवा क्षेत्रों के बीच सकारात्मक कार्य करना।
- छात्रों को समय की मांग के अनुसार प्रगतिशील तरीके से कौशल प्रदान करना।
- उच्च शिक्षा के दौरान सीखने के साथ आय अर्जन सुनिश्चित करना।
- अच्छी गुणवत्ता वाली जनशक्ति सुनिश्चित करके व्यापार/उद्योग क्षेत्र में सहयोग करना।
- सरकार के प्रयासों को सुविधाजनक बनाने के साथ ही छात्र समुदाय को रोज़गार से जोड़ना।

राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (NAPS)

- राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (NAPS) का शुभारंभ 19 अगस्त, 2016 को शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और प्रशिक्षुओं की सहभागिता बढ़ाने के लिये किया गया।
- NAPS ने अपरेंटिस प्रोत्साहन योजना (APY) का स्थान लिया है।
- इस योजना के निम्नलिखित 2 घटक हैं–
  - नियोक्ताओं द्वारा सभी प्रशिक्षुओं को निर्धारित स्टाइपेंड के 25% प्रतिपूर्ति करनी होगी जो कि अधिकतम ₹1500 प्रति प्रशिक्षु होगी।
  - नए प्रशिक्षुओं के संबंध में बुनियादी प्रशिक्षण की लागत 500 घंटे / 3 महीने की अधिकतम अवधि के लिये ₹7500 प्रति प्रशिक्षु निर्धारित है।

विभिन्न हितधारक

- **संस्थाएँ**– उच्च शिक्षा संस्थान अंतिम वर्ष में आने वाले छात्रों के लिये विभिन्न विकल्पों के साथ योजना की व्याख्या करेंगे और उनकी भागीदारी में रुचि लेंगे।
- **सेक्टर स्किल काउंसिल (SSC)**– SSC अप्रेंटिसशिप के लिये उद्योगों की पहचान करेंगे और प्रमाणीकरण के लिये मूल्यांकन का कार्य भी करेंगे। जबकि प्रमाणन किसी भी प्रकार के प्लेसमेंट की गारंटी नहीं होगी।
- **कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE)-** MSDE न केवल कार्यक्रम प्रशिक्षुओं की निगरानी करेगा बल्कि NAPS के अनुसार प्रतिपूर्ति के दावों का समाधान कर कार्यक्रम को वित्त प्रदान करेगा।

सेक्टर स्किल काउंसिल (SSC)

- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा सेक्टर कौशल परिषदों को स्वायत्त उद्योग के नेतृत्व वाले निकायों के रूप में स्थापित किया गया है।
- ये व्यावसायिक मानक निर्धारित करते हैं। सक्षमता ढाँचे का विकास कर ट्रेनर प्रोग्राम का प्रशिक्षण देते हैं, कौशल अंतराल अध्ययन आयोजित करते हैं और उनके द्वारा विकसित राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों से जुड़े पाठ्यक्रम पर प्रशिक्षुओं का मूल्यांकन और प्रमाणन करते हैं।

3 अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन 2019

चर्चा में क्यों?

जून 2019 में किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organisation-SCO) का 19वाँ शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें भारत सहित तमाम सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में भाग लिया और एशियाई क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे आतंकवाद पर अपनी चिंता भी ज़ाहिर की।

मुख्य बिंदु

- 19वें शिखर सम्मेलन में आतंकवाद प्रमुख मुद्दा रहा जिस पर सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने गहरी चिंता व्यक्त की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हेतु एक साथ आने पर भी ज़ोर दिया।
- जुलाई 2015 के बाद यह पहला मौका था जब भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधि द्विपक्षीय वार्त्ता के लिये एक साथ एक ही मंच पर मौजूद थे।
- सम्मेलन में सदस्य देशों के मध्य क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने पर भी ध्यान दिया गया जो कि SCO का एक प्रमुख उद्देश्य है।
- भारत और चीन के प्रतिनिधियों ने भविष्य में अपने बहुपक्षीय संबंधों को और मज़बूती प्रदान करने के तरीकों पर भी चर्चा की। ज्ञातव्य है कि चीन की आतंकवाद समर्थित नीति, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तथा चीन-पाकिस्तान इकॉनमिक कॉरिडोर के कारण दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव पैदा हुआ है।
- साथ ही चीन ने अमेरिका की व्यापार संरक्षणवाद नीति तथा प्रशुल्क को एक हथियार के रूप में प्रयोग करने पर चिंता ज़ाहिर की और इसके विरुद्ध एकजुट होने की आवश्यकता पर भी ज़ोर दिया।
- चीन और अमेरिका के बीच व्यापार युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है जिसका प्रमुख उदाहरण हाल ही में अमेरिका द्वारा चीनी कंपनी Huawei पर कड़े व्यापार प्रतिबंध लगाना है।

अन्य तथ्य

- शिखर सम्मेलन की बहुपक्षीय वार्त्ता के अतिरिक्त प्रधानमंत्री मोदी की रूस के राष्ट्रपति पुतिन तथा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्त्ता भी हुई।
- रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को व्लादिवोस्तोक में होने जा रहे 'ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम' में बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया है।
- चीन के साथ हुई द्विपक्षीय वार्त्ता में प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और अफगानिस्तान में स्थायित्व व अवसंरचना निर्माण को बेहतर करने पर विमर्श किया।
- प्रधानमंत्री मोदी ने शी जिनपिंग को अगले अनौपचारिक समिट के लिये आमंत्रित भी किया है।

शंघाई सहयोग संगठन (SCO)

- शंघाई सहयोग संगठन एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है जिसकी स्थापना चीन, कज़ाखस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताज़िकिस्तान और उज़्बेकिस्तान द्वारा 15 जून, 2001 को शंघाई (चीन) में की गई थी।
- उज़्बेकिस्तान को छोड़कर बाकी देश 26 अप्रैल, 1996 में गठित 'शंघाई पाँच' समूह के सदस्य हैं।
- वर्ष 2005 में भारत और पाकिस्तान इस संगठन में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुए थे।
- भारत और पाकिस्तान को वर्ष 2017 में इस संगठन के पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया।
- वर्तमान में शंघाई सहयोग संगठन के आठ सदस्य देशों के अलावा चार ऑब्ज़र्वर देश अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया हैं।
- संगठन में आर्मेनिया, अज़रबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और तुर्की समेत छह डायलॉग पार्टनर भी हैं।
- संगठन में चीन और रूस के बाद भारत तीसरा बड़ा देश है।

चीन-पाकिस्तान इकॉनमिक कॉरिडोर (CPEC)

- CPEC पाकिस्तान के ग्वादर से लेकर चीन के शिनजियांग प्रांत के काशगर तक लगभग 2442 किलोमीटर लंबी एक वाणिज्यिक परियोजना है।
- इस परियोजना की कुल लागत लगभग 50 अरब डॉलर आँकी जा रही है।
- चीन का यह निवेश दशकों से ख़राब हालत में चल रही पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था के लिये वरदान साबित हुआ है।
- इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य रेलवे और हाइवे के माध्यम से तेल और गैस का कम समय में वितरण सुनिश्चित करना है।
- एक अनुमान के मुताबिक, वर्ष 2030 तक करीब 7 लाख लोगों को इस परियोजना से प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा।

भारत-रूस : 21वीं सदी के साझेदार

चर्चा में क्यों?

4–5 अक्तूबर, 2018 के मध्य रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की यात्रा पर रहे। इस दौरान दोनों देशों के बीच 19वाँ वार्षिक शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। साथ ही दोनों देशों के बीच 8 महत्त्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इसके अलावा इस यात्रा के दौरान S-400 ट्रायम्फ मिसाइल वायु रक्षा प्रणाली से जुड़ा सौदा काफी चर्चा में रहा। इसके बाद नवंबर 2018 में सेंट पीटर्सबर्ग में भारत-रूस रणनीतिक आर्थिक वार्त्ता का भी आयोजन किया गया।

महत्त्वपूर्ण समझौते

- इस यात्रा के दौरान भारत और रूस के बीच बहुप्रतीक्षित 5 अरब डॉलर से अधिक का S-400 मिसाइल सिस्टम से संबंधित समझौता संपन्न हुआ।
- रूस, भारत के रेल नेटवर्क का विस्तार और उसके आधुनिकीकरण में सहयोग करेगा।
- परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिये एक नए एक्शन प्लान की घोषणा भी की गई। रूस की उच्च तकनीकी की मदद से अगले दो दशकों में भारत में 12 नए परमाणु संयंत्र लगाए जाएंगे।
- दोनों देशों के बीच लघु उद्योग के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित समझौते भी हुए।

क्या है S-400 एयर मिसाइल सिस्टम?

- रूस के अल्माज केंद्रीय डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा 1990 के दशक में विकसित यह वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली S-300 का उन्नत संस्करण है।
- यह मिसाइल प्रणाली रूस में 2007 से सेवा में है और सतह से हवा में मार करने वाली दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों में से एक मानी जाती है। इस रक्षा प्रणाली से विमानों सहित क्रूज़ और बैलिस्टिक मिसाइलों तथा ज़मीनी लक्ष्यों को भी निशाना बनाया जा सकता है।
- S-400 मिसाइल प्रणाली 400 किमी. की रेंज में आने वाले मिसाइलों एवं पाँचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों, जैसे- अमेरिका के सबसे उन्नत फाइटर जेट F-35 को भी नष्ट कर सकती है।

पुतिन की यात्रा के मायने

- अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से यह सम्मेलन विभिन्न कारणों से महत्त्वपूर्ण रहा है किंतु रूस से अत्याधुनिक वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली S-400 ट्रायम्फ प्राप्त करने की दृष्टि से काफी अहम है।
- भारत ने अमेरिकी प्रतिबंध की धमकी के बावजूद रूस के साथ सौदा करने पर सहमति जताई है। भारत और रूस के बीच हथियारों का यह सौदा काउंटरिंग अमेरिकाज़ एडवर्सरीज़ थ्रू सैंक्शंस एक्ट (Countering America's Adversaries through Sanctions Act-CAATSA) नामक अमेरिकी कानून के दायरे में आता है।
- हालाँकि, इस कानून का उद्देश्य रूस को वर्ष 2014 में क्रीमिया पर कब्ज़ा करने के लिये दंडित करना है लेकिन अमेरिका चाहता है कि भारत, रूस के साथ अपने हथियार हस्तांतरण रिश्ते को खत्म कर दे।
- ज्ञातव्य है कि इससे पूर्व वर्ष 2016 में गोवा में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की 17वीं वार्षिक बैठक में मिसाइल रक्षा प्रणाली S-400 ट्रायम्फ के ₹29,000 करोड़ के सौदे पर हस्ताक्षर किये गए थे। इसके अलावा 4 शक्तिशाली युद्धक पोत, 200 कामोव-260 हेलीकॉप्टर के सौदे पर भी हस्ताक्षर किये गए थे।

भारत-रूस रणनीतिक आर्थिक वार्त्ता के प्रमुख बिंदु

- परिवहन बुनियादी ढाँचा
- कृषि एवं कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र
- छोटे और मध्यम व्यापार के लिये समर्थन
- डिजिटल परिवर्तन और सीमा प्रौद्योगिकी
- औद्योगिक एवं व्यापारिक सहयोग

वार्त्ता के परिणाम

- भारत और रूस ने कृत्रिम बुद्धिमता (Artificial Intelligence) और ब्लॉकचेन प्रणाली (Blockchain System) के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई।
- स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी दोनों देश साथ मिलकर काम करने की संभावनाएँ तलाशेंगे।
- दोनों देशों के बीच पर्यटन, डिजिटल फ्रंट, वित्तीय तकनीकी और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी।
- भारत और रूस के बीच अगली आर्थिक रणनीतिक वार्त्ता अगस्त 2019 में भारत में आयोजित की जाएगी। ■■■

4 अर्थव्यवस्था (Economy)

जीएसटी के दो वर्ष : सफलताएँ एवं चुनौतियाँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर (GST) प्रणाली को लागू हुए दो वर्ष पूरे हो गए। जीएसटी 1 जुलाई, 2017 से पूरे देश में लागू किया गया था।

प्रमुख बिंदु

- जीएसटी लागू होने के बाद से देश में आर्थिक एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हो गया। इसके बाद से केंद्र और राज्यों के 17 अप्रत्यक्ष कर समाप्त हो गए।
- 1 जुलाई, 2019 से सरकार द्वारा जीएसटी की नई रिटर्न प्रणाली का परीक्षण शुरू किया जा रहा है।
- आने वाले दिनों में कैश लेजर सिस्टम को तर्कसंगत बनाने और रिफंड जारी करने का सिंगल सिस्टम बनाने जैसे उपाय भी मूर्त रूप लेंगे। ई-इन्वॉयस सिस्टम, अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना, पंजीकरण के लिये सीमा बढ़ाकर ₹ 40 लाख करने जैसे निर्णय भी अमल में लाये जाएंगे।
- मई 2019 तक जीएसटी में 1.35 करोड़ असेसी पंजीकृत हैं जिसमें से 17.74 लाख ने कंपोज़ीशन स्कीम ली है।
- जीएसटी के क्रियान्वयन में केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल ने अहम भूमिका निभाई है। काउंसिल की अभी तक 35 बैठकें हो चुकी हैं और यह एक हज़ार से अधिक निर्णय कर चुकी है लेकिन अब तक एक बार भी इसमें मतदान की आवश्यकता नहीं पड़ी है।

जीएसटी की सफलताएँ

- जीएसटी की सबसे बड़ी सफलता है कि इससे 'एक देश एक कर' का स्वप्न साकार हो गया है। पूरे देश में कीमतों की एकरूपता के कारण वितरण व्यवस्था, उत्पादन, आपूर्ति शृंखला और भंडारण व्यवस्था भी दुरुस्त हुई है। अलग-अगल राज्यों में वस्तुओं और सेवाओं की अलग-अलग कीमतों के कारण भ्रष्टाचार के कई दरवाज़े खुलते थे जो अब जीएसटी के कारण बंद हो गए हैं।
- इसके कार्यान्वयन से अर्थव्यवस्था का औपचारीकरण (फॉर्मलाइज़ेशन) हो रहा है। इसी का परिणाम है कि देश में कर आधार का तेज़ी से विस्तार हुआ है। अब तक जीएसटी के तहत एक करोड़ से अधिक कारोबारियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है।
- जीएसटी के अंतर्गत पारदर्शी डिजिटल व्यवस्था के चलते कर दायरे से बचना या कर अपवंचना मुश्किल हुआ है। जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन होने पर इनसेंटिव ऑफ इनपुट क्रेडिट की सुविधा मिल रही है, इसके कारण अधिकाधिक लोग कर संरचना से जुड़े जिससे कर आधार विस्तृत हुआ है।
- वैसी आशंकाएँ निर्मूल साबित हो गईं जिनमें कहा गया था कि इसके कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप महँगाई में तेज़ी से इज़ाफा होगा। कई अन्य देशों में जहाँ ऐसी कर व्यवस्था लागू की गई थी वहाँ ऐसा देखने को मिला था।
- इस व्यवस्था से व्यापक स्तर पर आँकड़ों का संग्रहण हो रहा है जो नीति-निर्माण में बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं।
- इसके क्रियान्वयन के फलस्वरूप इंस्पेक्टर रूल को इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी (सूचना प्रौद्योगिकी) से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। चाहे बात जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन की हो या ई-वे (E-way) बिल की या रिफंड की, सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से सब कुछ ऑनलाइन कर पाना संभव है। इससे प्रशासनिक जटिलाताएँ कम हुई हैं, साथ ही कर प्रशासन उत्तरदायी भी हुआ है।

जीएसटी की चुनौतियाँ

- सबसे बड़ी चुनौती जीएसटी संग्रह बढ़ाने की है। जुलाई 2017 से मई 2019 तक के दौरान सिर्फ छह माह ऐसे हैं जब जीएसटी संग्रह एक लाख करोड़ के पार गया है। चालू वित्त वर्ष में भी संग्रह अपेक्षानुरूप नहीं रहा है। ऐसे में केंद्र और राज्यों को मिलकर जीएसटी की चोरी रोकने हेतु ठोस कदम उठाने होंगे।
- शराब, मनोरंजन कर, रियल एस्टेट, कच्चा तेल, डीज़ल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाने की चुनौती अभी भी सामने है।
- जीएसटी के अनुपालन (कंप्लायंस) में अभी भी कुछ बाधाएँ हैं।

आगे की राह

- जीएसटी के सुचारू क्रियान्वयन में आ रही तकनीकी बाधाओं को दूर करना अत्यंत आवश्यक है। जीएसटी रिर्टन की प्रक्रिया को भी सरल बनाना होगा।
- सबसे ज़रूरी कदम है कर आधार का विस्तार करना और यह तभी संभव है जब जीएसटी प्रणाली से बाहर रखी गई वस्तुओं को यथाशीघ्र प्रणाली के तहत लाया जाए।
- जीएसटी प्रणाली को बेहतर बनाने के लिये टैक्स स्लैब को तर्कसंगत बनाना ज़रूरी होगा। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि भविष्य में 12 और 18 प्रतिशत की कर दरों को मिलाकर एक दर बनाई जा सकती है। ■■■

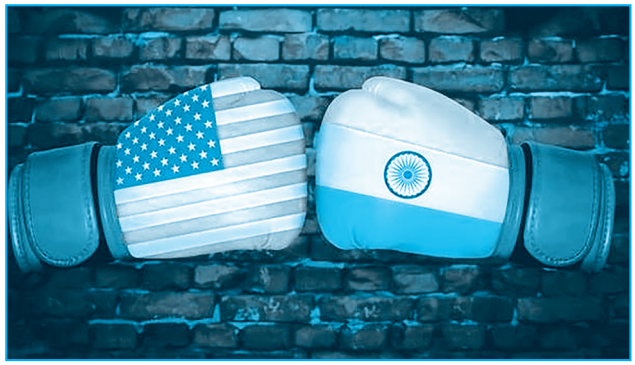

WTO में भारत और अमेरिका

- अमेरिका, भारत की एक्सपोर्ट सब्सिडी स्कीमों को विश्व व्यापार संगठन (WTO) में चुनौती देता रहा है। अमेरिकी शिकायत में 6 योजनाओं के नाम हैं।
- इसमें कहा गया है कि भारत निर्यातकों के अलावा स्टील प्रोडक्ट, फार्मा, केमिकल, IT और टेक्सटाइल निर्माताओं को इन्सेंटिव देता है।
- इन स्कीमों से इन्हें हर साल 7 अरब डॉलर (करीब ₹ 45,500 करोड़) की मदद मिलती है। इस मदद से निर्यातक अपना सामान सस्ते में एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे अमेरिकी निर्माताओं और कामगारों को नुकसान होता है।
- WTO के नियमों के मुताबिक, जिन देशों की प्रति व्यक्ति औसत आय 1000 डॉलर से कम है, वे एक्सपोर्ट इन्सेंटिव दे सकते हैं।
- इन्सेंटिव उन्हीं क्षेत्रों के लिये दिया जा सकता है जिनकी वैश्विक निर्यात में 3.25% से कम हिस्सेदारी है।
- अमेरिका का कहना है कि भारत 2015 में ही इस मानदंड से ऊपर आ गया था। नियम के अनुसार, यह छूट खत्म कर दी जानी चाहिये थी, लेकिन भारत ने इसका आकार और दायरा, दोनों बढ़ा दिया है।

WTO द्वारा पहले दिए गए एक फैसले के मुताबिक, GSP के तहत छूट की प्रकृति गैर-पारस्परिक है। भारत ने पहले कहा था कि अमेरिका ने यदि यह छूट वापस ली तो वह उसे WTO में खींचेगा। अब चूँकि यह पूरी तरह एकतरफा कदम ठहराया गया है, इसलिये अमेरिका के अपने फैसले से पलटने की कम ही उम्मीद है।

भारत पर प्रभाव

अमेरिका के लिये भारत 11वाँ सबसे बड़ा व्यापार घाटे वाला देश है। 2017–18 में भारत ने लगभग $ 21 बिलियन का व्यापार अधिशेष प्राप्त किया। भारत से अपने व्यापार घाटे (Trade Deficit) को कम करने के लिये अमेरिका लगातार ज़ोर देता रहा है।

ऐसे में माना जा रहा है कि GSP छूट वापस लेने का पहला असर दोनों देशों के बीच पारस्परिक रूप से स्वीकार्य व्यापार पैकेज पर पड़ेगा जिस पर लंबे समय से बातचीत चल रही है। भारत सरकार ने कहा है कि अमेरिका के भारतीय उत्पादों पर से कर छूट वापस लेने से दोनों देशों के आपसी व्यापार पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। अमेरिका को होने वाले कुल निर्यात में कर छूट वाले उत्पादों की संख्या कम है और इनका निर्यात मूल्य अपेक्षाकृत कम होता है। इस प्रणाली से बाहर होने से भारतीय उत्पादों को मिलने वाली 19 करोड़ डॉलर की छूट समाप्त हो जाएगी। इससे लगभग 2000 भारतीय उत्पादों का $ 560 करोड़ का निर्यात प्रभावित होगा। इनमें मुख्यत: आभूषण, हस्तशिल्प और चमड़ा उत्पाद तथा परिधान शामिल हैं। अमेरिका के इस फैसले से भारत का निर्यात प्रभावित होगा। अमेरिका के जवाब में भारत उसके उत्पादों पर और ड्यूटी बढ़ा सकता है। इससे जो ट्रेड वॉर अमेरिका और चीन के बीच चल रही थी, वही भारत और अमेरिका के बीच भी शुरू हो जाएगी।

यह भी प्रासंगिक है कि भारत की ओर से लगाए गए शुल्क विश्व व्यापार संगठन (WTO) की बाध्यताओं के तहत सीमित दरों के भीतर हैं और ये सीमित दरों से काफी कम औसत स्तर पर बने हुए हैं। ऐसे में भारत प्रमुख विवादित मुद्दों पर सार्थक और परस्पर स्वीकार्य पैकेज को मानने और शेष मुद्दों के बारे में भविष्य में विचार-विमर्श जारी रखने के बारे में सहमत हो सकता था। यह भी ठीक है कि GSP के लाभ सीमित हैं और इसे लेकर दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत में इसका समाधान निकाला जा सकता था, लेकिन इसका पटाक्षेप उस तरह नहीं हुआ जैसा अपेक्षित था।

आगे की राह

- भारतीय उत्पादों को GSP व्यवस्था से बाहर करने पर यह उत्पाद बाज़ार में अमेरिकी उत्पादों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को तो लाभ पहुँचेगा परंतु यह दोनों देशों के बीच व्यापार विश्वास को कम करने वाला कदम होगा।
- अमेरिकी को भारत की पात्रता को व्यापार विश्वास बहाली के रूप में जारी रखने पर विचार करना चाहिये जो दोनों देशों के बीच पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंधों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
- GSP समग्र व्यापार संबंधों का एक केंद्रीय पहलू है। यद्यपि अमेरिकी बाज़ारों को भारतीय निर्यातकों के लिये उपलब्ध रहने का भी प्रयास करना चाहिये।
- आज अमेरिका और भारत दोनों आपसी सहयोग के अनगिनत क्षेत्रों में संलग्न हैं और बड़ी संख्या में वैश्विक मुद्दों पर एक समान विचार रखते हैं। हमें अपने रिश्ते को केवल व्यापारिक चश्मे से न देखकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रूप में देखना चाहिये।

5 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology)

चंद्रयान-2 मिशन

चर्चा में क्यों?

- जून 2019 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने यह घोषणा की, कि चंद्रयान-2 मिशन की कमान अब दो महिलाएँ संभालेंगी।
- रितू करिधल और एम. वनीता चंद्रयान-2 मिशन के लिये क्रमशः मिशन डायरेक्टर एवं प्रोजेक्ट डायरेक्टर नियुक्त की गई हैं।
- इसरो ने यह भी कहा है कि इस योजनाबद्ध मिशन (चंद्रयान-2) में 14 भारतीय पेलोड या अध्ययन के उद्देश्य से लगाए गए उपकरण शामिल होंगे।

चंद्रयान-2

- यह चंद्रमा पर भेजा जाने वाला भारत का दूसरा तथा चंद्रयान-1 का उन्नत संस्करण है, जिसे 15 जुलाई, 2019 को भेजे जाने की योजना बनाई गई है।
- इसके द्वारा पहली बार चंद्रमा पर एक ऑर्बिटर यान, एक लैंडर और एक रोवर ले जाया जाएगा।
- ऑर्बिटर जहाँ चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा करेगा, वहीं लैंडर चंद्रमा के एक निर्दिष्ट स्थान पर उतरकर रोवर को तैनात करेगा।
- इस यान का उद्देश्य चंद्रमा की सतह के मौलिक अध्ययन (Elemental Study) के साथ-साथ वहाँ पाए जाने वाले खनिजों का भी अध्ययन (Mineralogical Study) करना है।
- इसे GSLV MK-III द्वारा पृथ्वी के पार्किंग ऑर्बिट (Earth Parking Orbit - EPO) में एक संयुक्त स्टैक के रूप में भेजे जाने की योजना बनाई गई है।
- गौरतलब है कि वर्ष 2010 के दौरान भारत और रूस के बीच यह सहमति बनी थी कि रूसी अंतरिक्ष एजेंसी 'Roscosmos' चंद्र लैंडर (Lunar Lander/Moon Lander) का निर्माण करेगी तथा इसरो द्वारा ऑर्बिटर और रोवर के निर्माण के साथ ही जी.एस.एल.वी. द्वारा इस यान की लॉन्चिंग की जाएगी।
- किंतु, बाद में यह निर्णय लिया गया कि चंद्र लैंडर का विकास भी इसरो द्वारा ही किया जाएगा। इस प्रकार चंद्रयान-2 अब पूर्णरूपेण एक भारतीय मिशन है।
- इस मिशन की कुल लागत लगभग ₹ 800 करोड़ है। इसमें लॉन्च करने की लागत ₹ 200 करोड़ तथा सैटेलाइट की लागत ₹ 600 करोड़ शामिल है। विदेशी धरती से इस मिशन को लॉन्च करने की तुलना में यह लागत लगभग आधी है।
- चंद्रयान-2 एक लैंड रोवर और प्रोब से सुसज्जित होगा और चंद्रमा की सतह का निरीक्षण कर आँकड़े भेजेगा जिनका उपयोग चंद्रमा की मिट्टी का विश्लेषण करने के लिये किया जाएगा।

चंद्रयान-2 की तैयारियों में जुटा इसरो

- इसरो चंद्रयान-1 की सफलता के बाद से ही अपने अब तक के चुनौतीपूर्ण अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान-2 की तैयारी में जुट गया था।
- चंद्रयान-2 के तहत इसरो पहली बार चंद्रमा में ऑर्बिटर, रोवर और लूनर लैंडर भेजेगा। इस अभियान से नई तकनीकों के इस्तेमाल और परीक्षण के साथ-साथ नए प्रयोगों को भी बढ़ावा मिलेगा।
- लॉन्च होने के 40 दिन बाद यह चंद्रमा पर लैंड करेगा। इस मिशन के तहत इसरो पहली बार अपने यान को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की कोशिश करेगा।
- पहले चंद्रयान-2 को अक्तूबर 2018 में प्रक्षेपित किया जाना था लेकिन इसके डिज़ाइन में कुछ बदलाव किये जाने के कारण इसमें देरी हुई है।
- नए डिज़ाइन में लगभग 600 किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। दरअसल प्रयोगों के दौरान पता चला था कि उपग्रह से जब चंद्रमा पर उतरने वाला हिस्सा बाहर निकलेगा तो उपग्रह हिलने लगेगा। इसके लिये डिज़ाइन में सुधार और वज़न बढ़ाने की जरूरत महसूस की गई।
- पहले कुल प्रक्षेपण वज़न 3250 किलोग्राम तय था, अब यह 3850 किलोग्राम होगा।

चंद्रयान-1

- भारत के प्रथम चंद्र मिशन 'चंद्रयान-1' को 22 अक्तूबर, 2008 को PSLV C-11 से सफलतापूर्वक विमोचित किया गया था।
- यह अंतरिक्षयान चंद्रमा के रासायनिक, खनिज और प्रकाश-भौमिकी मानचित्रण के लिये चंद्रमा की परिक्रमा करता है।
- इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह के विस्तृत मानचित्रण एवं पानी की उपस्थिति और हीलियम की खोज करने के साथ ही चंद्रमा की सतह पर मैग्नीशियम, एल्युमीनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, आयरन और टाइटेनियम जैसे खनिजों और रासायनिक तत्त्वों का वितरण तथा यूरेनियम और थोरियम जैसे उच्च परमाणु क्रमांक वाले तत्त्वों की खोज करना था।

- यान के ऑर्बिटर का वज़न 2379 किग्रा., लैंडर का 1471 किग्रा. और रोवर का 27 किग्रा. होगा।
- अलग-अलग प्रयोगों के लिये ऑर्बिटर में 8, लैंडर में 4 तथा रोवर में 2 पेलोड होंगे।

गगनयान

चर्चा में क्यों?

- दिसंबर 2018 में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा वर्ष 2022 तक तीन सदस्यीय दल को अंतरिक्ष भेजने के लिये ₹ 10,000 करोड़ की महत्त्वाकांक्षी 'गगनयान' परियोजना को मंज़ूरी दी गई।
- इस प्रोजेक्ट में मदद के लिये भारत ने पहले ही रूस और फ्राँस के साथ करार किया है।

प्रमुख बिंदु

- वर्ष 2004 से ही इस परियोजना पर तैयारियाँ चल रही थीं जब मानव अंतरिक्ष मिशन को इसरो (ISRO) की प्लानिंग कमेटी द्वारा पहली बार समर्थन दिया गया था।
- हालाँकि, शुरुआत में इस मिशन को वर्ष 2015 में लॉन्च किये जाने का लक्ष्य रखा गया था, किंतु वास्तव में मिशन को लॉन्च करने के बारे में स्पष्टता की कमी थी।
- एक मानव मिशन के लिये इसरो को प्रमुख रूप से विशिष्ट क्षमताओं को विकसित करना होगा, जिनमें अंतरिक्ष यान को उड़ान के बाद पृथ्वी पर वापस लाने की क्षमता और एक ऐसे अंतरिक्ष यान का निर्माण जिसमें अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसी स्थितियों में रह सकें आदि शामिल हैं।
- साथ ही सबसे महत्त्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक लॉन्च व्हीकल का विकास करना है, जो अंतरिक्ष में भारी पेलोड ले जाने में सक्षम हो।
- हालाँकि, इसरो ने मानव क्रू मॉड्यूल, पर्यावरण नियंत्रण और जीवन सहायता प्रणाली जैसी तकनीक विकसित कर ली है, किंतु वर्ष 2022 तक वास्तविक उड़ान से पूर्व दो मानव रहित मिशन और अंतरिक्ष यान को जिओसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK-III का उपयोग करके प्रक्षेपित किया जाएगा।

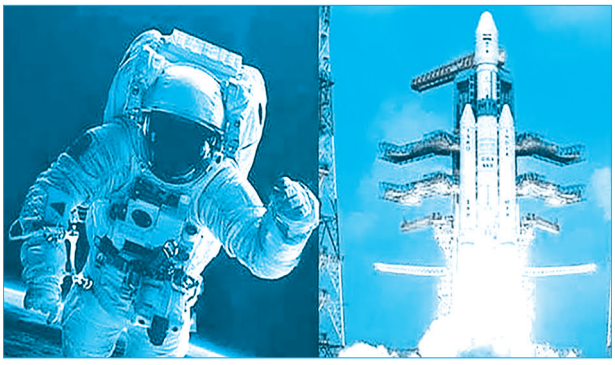

- गगनयान प्रोजेक्ट सफल होने पर इंसान को अंतरिक्ष में भेजने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन ह्यूमन स्पेसफ्लाइट मिशन लॉन्च कर चुका है।

अंतरिक्ष क्षेत्र में भारतीयों की उपलब्धियाँ

- भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट राकेश शर्मा अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय थे। इंटरकॉस्मोस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में शर्मा 2 अप्रैल, 1984 को लॉन्च किये गए सोवियत संघ के सोयुज़ टी-11 अभियान का हिस्सा थे।
- इसके अलावा भारतीय मूल की कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स भी अंतरिक्ष में जा चुकी हैं ।

लाभ

- गगनयान मिशन की घोषणा के साथ ही भारतीय औद्योगिक कंपनियों के पास अंतरिक्ष क्षेत्र की मांग को पूरा करने का अच्छा अवसर है। लगभग 60% तकनीकी से संबंधित आवश्यकताएँ भारतीय कंपनियों के द्वारा पूरी की जाएंगी।
- 'इसरो' प्रमुख के मुताबिक गगनयान मिशन लगभग 15,000 नए रोज़गार के अवसर सृजित करेगा।
- मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम अनुसंधान व विकास को बढ़ावा दे रहा है। यह कार्यक्रम प्रोसेसिंग, एस्ट्रो-बायोलॉजी, माइनिंग शोध जैसे क्षेत्रों में निर्णायक साबित होगा।
- मानव अंतरिक्ष उड़ान और इसके पहले चंद्र व मंगल मिशन की सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के बढ़ते प्रभाव को परिलक्षित करती है। यह उपलब्धि भारत को वैश्विक अंतरिक्ष प्रशासन में महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान करती है

चुनौतियाँ

- भारत के पास अभी एस्ट्रोनॉट्स को प्रशिक्षित करने तथा मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिये लॉन्च व्हीकल की उन्नत तकनीकियों का अभाव है।
- लॉन्च व्हीकल, लॉन्च क्रू मॉड्यूल, स्पेस कैप्सूल रि-एंट्री टेक्नोलॉजी, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, स्पेससूट आदि अभी विकास की प्रक्रिया में हैं।
- मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिये श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की तकनीकी दक्षता बढ़ाने की आवश्यकता है।
- पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (PSLV) और जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (GSLV) दो भारतीय प्रक्षेपण यान हैं जो उपग्रह और माड्यूल को अंतरिक्ष में लॉन्च करने के लिये तैनात किये गए हैं जो अभी तक 'मैनरेटेड' नहीं हैं। ('मैन रेटिंग' शून्य विफलता वाले लॉन्च व्हीकल की सुरक्षा और अखंडता को मापने के लिये प्रयोग किया जाने वाला शब्द है।)

आगे की राह

- अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के संदर्भ में एक मानवयुक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम भारत के लिये अगला महत्त्वपूर्ण कदम है।
- भारत को मानव रहित अंतरिक्ष उड़ान के लिये उन्नत तकनीकी क्षमता हासिल करनी होगी। इससे अल्पकाल में भले ही प्रत्यक्ष लाभ अधिक न हो परंतु यह एक दीर्घकालिक निवेश साबित होगा। ■■■

6 पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (Environment and Ecology)

जल संकट : कारण और निवारण

चर्चा में क्यों?

- 1 जुलाई, 2019 को जल शक्ति मंत्रालय (Ministry of Jal Shakti) द्वारा 'जल संरक्षण और जल सुरक्षा' की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 'जल शक्ति अभियान' नामक एक पहल का शुभारंभ किया गया।
- गौरतलब है कि दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन शहर में पानी की किल्लत से 'डे-ज़ीरो' लागू किया गया। भारत के शिमला में कमोबेश ऐसी ही स्थिति देखने को मिली, जिससे पूरे विश्व में पानी के संरक्षण पर पुन: बहस प्रारंभ हो गई।
- "किसी को पीछे नहीं छोड़ना" (Leaving No One Behind) थीम के साथ वर्ष 2019 में विश्व जल दिवस का आयोजन किया गया। वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा लोगों के बीच जल का महत्त्व, आवश्यकता और संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाने की घोषणा की गई।

जल क्या है?

दो हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना अणु H_2O अर्थात् पानी या जल समस्त प्राणियों का जीवन आधार है। आमतौर पर 'जल' शब्द का प्रयोग द्रव अवस्था के लिये उपयोग में लाया जाता है, पर यह ठोस अवस्था (बर्फ) और गैसीय अवस्था (भाप या जलवाष्प) में भी पाया जाता है।

वैश्विक जल संकट

- करीब 844 मिलियन लोगों तक स्वच्छ पानी के पहुँच की कमी है। इसमें से लगभग 159 मिलियन लोग अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिये सतही जल (Surface Water) पर निर्भर हैं।
- 2 बिलियन से अधिक लोग बेहतर स्वच्छता के उपयोग के बिना रहते हैं।
- ध्यातव्य है कि स्वच्छ पानी की कमी भी एक स्वास्थ्य संकट है, क्योंकि आँकड़े बताते हैं कि पानी से संबंधित बीमारी से हर दो मिनट में एक बच्चे की मृत्यु होती है।
- हर साल कम-से-कम दस लाख लोग पानी और स्वच्छता संबंधी बीमारियों से मारे जाते हैं।
- वर्ष 2017 में लगभग 45 देशों में जल संकट की वजह से संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई। भारत में महाराष्ट्र के लातूर ज़िले में भी संघर्ष टालने के लिये धारा 144 का प्रयोग किया गया है।
- यह भविष्यवाणी की गई है कि वर्ष 2040 तक 33 देशों में, जिसमें अधिकांशत: उत्तरी अफ्रीका, पाकिस्तान, तुर्की और अफगानिस्तान सहित कई देश उच्च जल तनाव का सामना करेंगे।
- भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया सहित कई अन्य देश भी उच्च जल तनाव का सामना कर सकते हैं।

मानवाधिकार है पेयजल

- 28 जुलाई, 2010 को संयुक्त राष्ट्र ने पानी को 'मानवाधिकार' घोषित किया था, लेकिन स्वच्छ पेयजल के अभाव और दूषित जल के सेवन से दुनिया भर में प्रतिदिन 2300 लोग असमय काल के गाल में समा जाते हैं।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, दुनिया भर में 86% से अधिक बीमारियों का कारण असुरक्षित व दूषित पेयजल है।
- संयुक्त राष्ट्र एजेंडा 2030 के 17 सतत् विकास लक्ष्यों के छठे लक्ष्य में 'सभी के लिये स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने' की बात कही गई है।

- केपटाउन के अलावा बीजिंग, मेक्सिको सिटी, यमन की राजधानी सना, नैरोबी, इस्तांबुल, बंगलूरू, कराची, साओ पॉलो और ब्यूनस आयर्स जैसे दुनिया के कई बड़े शहर पानी के संकट से जूझ रहे हैं।

भारत में क्या है स्थिति

- भारत की आबादी विश्व की आबादी का लगभग 18% है, लेकिन विश्व का केवल 4% नवीकरणीय जल संसाधन और विश्व के भू-क्षेत्र का 2.4% भू-क्षेत्र ही भारत के पास मौजूद है।
- देश के लगभग 55% कुएँ पूरी तरह सूख चुके हैं। विगत 10 वर्षों में भूजल स्तर में औसतन 54% की कमी दर्ज की गई है; जलाशय सूख रहे हैं और नदियों में पानी के बहाव में निरंतर कमी आ रही है।
- यह स्थिति तब है जबकि देश में प्रतिवर्ष 1170 मिमी. औसतन वर्षा होती है, जो पश्चिम अमेरिका से 6 गुना अधिक है।
- भारत के शहरी क्षेत्रों में 970 लाख लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता।
- ग्रामीण क्षेत्रों में 70% लोग प्रदूषित पानी पीने को विवश हैं।
- 33 करोड़ लोग ऐसी जगह रहने को मजबूर हैं जहाँ हर साल सूखा पड़ता है।
- भारत में 85% पानी कृषि, 10% उद्योगों, और 5% घरेलू इस्तेमाल में प्रयोग होता है।

पर्यावरण बनाम विकास

चर्चा में क्यों?

- मार्च 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली क्षेत्र में अवैध खनन एवं निर्माण कार्य को चुनौती देते हुए हरियाणा सरकार द्वारा पारित पंजाब भूमि परिरक्षण संशोधन विधेयक, 2019 के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी।
- गौरतलब है कि हरियाणा विधानसभा ने पंजाब भूमि परिरक्षण कानून (हरियाणा संशोधन अधिनियम 2019) की धारा 2, 3, 4 और 5 में संशोधन किया था, जिसके ज़रिये अरावली पहाड़ियों की संरक्षित लगभग 30,000 हेक्टेयर भूमि को विकास कार्यों हेतु खोल दिया गया था।

अरावली पर्वत शृंखला

- अरावली पर्वत शृंखला मोड़दार अवशिष्ट पर्वत शृंखला है जो भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एवं दिल्ली राज्य क्षेत्र में फैली हुई है।
- यह प्राकृतिक संसाधनों एवं खनिजों से परिपूर्ण है जिसमें तांबा, सीसा, जस्ता, अभ्रक तथा चूना पत्थर जैसे खनिज शामिल हैं। इसमें प्राकृतिक वनस्पति की लगभग 400 प्रजातियाँ तथा 200 से अधिक वन्यजीव पाए जाते हैं जिनमें तेंदुआ, सियार, नीलगाय तथा लकड़बग्घा प्रमुख हैं।
- यह राजस्थान से आने वाली गर्म हवा को रोककर दिल्ली-एनसीआर के तापमान को 6–8 डिग्री सेल्सियस निम्न बनाए रखने के साथ पश्चिमी मरुस्थल के विस्तार को रोकने में मदद करती है एवं दिल्ली-एनसीआर हेतु रक्षक का कार्य करती है।
- हरियाणा में विकासात्मक गतिविधियों के परिणामस्वरूप वनों की कटाई के कारण जंगल संकटग्रस्त हुए हैं तथा अधिकांश जीव-जंतुओं की प्रजातियाँ विलुप्त या विलुप्ति के कगार पर पहुँच गई हैं। राजस्थान में अवैध खनन के परिणामस्वरूप अरावली पर्वत शृंखला की कई पहाड़ियाँ गायब हो चुकी हैं तथा उर्वरता भी काफी कम हो गई है। इस कारण हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सूखे व राजस्थान के रेतीले इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने लगी है।

आर्थिक विकास के पक्ष में तर्क

- विकास को मूल साध्य मानने वाले विकास के केंद्र में मानव को रखते हुए कहते हैं कि मानवीय गरीबी एवं भुखमरी को समाप्त करना ही किसी भी विकास-गतिविधि का लक्ष्य होना चाहिये तथा इनका उन्मूलन करने हेतु पर्यावरणीय साधनों का प्रयोग संपूर्णता में करना चाहिये।
- हरित मुद्दों पर औद्योगीकृत प्रथम विश्व का ज़ोर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को पीछे की ओर ले जाएगा जोकि तृतीय विश्व के साथ उनके विभाजन को और भी मज़बूत बनाएगा।
- एक बड़ा वर्ग विकसित देशों की पर्यावरणीय नीति को नव-उदारवादी राष्ट्रों की संप्रभुता में हस्तक्षेप के रूप में देखता है तथा ये अपने प्रतिद्वंद्वियों को रोकने हेतु जानबूझकर, किये गए प्रयासों को संभावना के रूप में बताते हैं। इनके अनुसार बढ़ता हुआ औद्योगीकरण प्रगतिशील कदम है तथा वैज्ञानिक प्रगति व नवाचार ने उद्योगों के प्रदूषण को काफी हद तक कम किया है। समय के साथ ये प्रणालियाँ अधिक कुशल, दक्ष व पर्यावरणसम्मत हुई हैं।

पर्यावरण के पक्ष में तर्क

- पर्यावरणविदों के अनुसार जैसे-जैसे पर्यावरण का क्षरण होता जाएगा, गरीबों की अपनी स्थिति से बाहर आने की क्षमता कम होती जाएगी। चूँकि पर्यावरणीय आपदाओं से निपटने में अक्षम लोगों की क्षमताएँ कम होती हैं, अत: फसलों के खराब होने, रेगिस्तान के विस्तार, बाढ़, जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप गरीबी-भुखमरी का प्रसार होगा।
- राष्ट्र औद्योगीकरण से जितना प्राप्त करते हैं, उससे अधिक प्रदूषण व ग्लोबल वार्मिंग से खो रहे हैं तथा वायु, जल व मृदा प्रदूषण की आर्थिक एवं पारिस्थितिकी लागत आने वाली पीढ़ी तक विस्तारित है।
- पर्यावरणविदों के अनुसार, वैज्ञानिक प्रगति एवं नवाचार ने बेशक उत्पादन प्रणाली को अधिक दक्ष बनाया है परंतु विंडस्केल, थ्री माइल आइलैंड और चेर्नोबिल जैसी गंभीर दुर्घटनाओं के उदाहरण हमारे सामने हैं।

संधारणीय विकास

- संधारणीय/सतत् विकास एक ऐसी व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण को प्रोत्साहित करता है जहाँ प्राकृतिक संसाधनों की अखंडता और स्थिरता को प्रभावित किये बिना मानवीय आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है।
- संयुक्त राष्ट्र के स्टॉकहोम सम्मेलन, 1972 में सर्वप्रथम पर्यावरण को विकास प्रक्रिया में सहभागी बनाने पर चर्चा की गई।
- सतत् विकास मानव के अस्तित्व की बुनियादी शर्त है जिसमें वह पारिस्थितिकी के साथ समन्वय कर व्यवस्था के न्यायपूर्ण संचालन की वकालत करता है। इस सिद्धांत का मूलभूत विचार अंतर-पीढ़ीगत संबद्धता, नवीकरणीयता, प्रतिस्थापन, अंतर्निर्भरता, अनुकूलनशीलता तथा संस्थापन प्रतिबद्धता जैसे मूल्यों पर टिका है।

आगे की राह

भविष्य में एक ऐसे दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो आर्थिक गतिविधियों की पारिस्थितिकी लागत के साथ सामंजस्य बनाए तथा विकास का एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत करे जो न केवल संवृद्धि के दृष्टिकोण से प्रगतिशील हो वरन् समावेशिता, सततता, सशक्तीकरण तथा स्थिरता के मूल्यों को भी समाहित करता हो। ■■■

7 सुरक्षा (Security)

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम (AFSPA)

संदर्भ

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम (Armed Forces (Special Powers Act - AFSPA) को गृह मंत्रालय द्वारा अरुणाचल प्रदेश के 3 ज़िलों से आंशिक रूप से हटा दिया गया है। इससे पूर्व AFSPA राज्य के कुल नौ ज़िलों में लागू था।

AFSPA की पृष्ठभूमि

- भारत विभाजन के बाद कई क्षेत्रों में अशांति और अराजकता फैली हुई थी। इसको देखते हुए उन क्षेत्रों में लंबे समय के लिये सशस्त्र बलों की तैनाती करना अनिवार्य हो गया था।
- बाद में अशांत क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बहाल करने में सैन्य बलों की उपयोगिता को देखते हुए 11 सितंबर, 1958 को सशस्त्र बल (असम और मणिपुर) विशेष शक्ति अधिनियम, 1958 लाया गया।
- वर्ष 1972 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के पुनर्गठन के पश्चात् इस अधिनियम में संशोधन करके इसका नाम 'सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम' (AFSPA) कर दिया गया।
- वर्तमान में AFSPA पूर्वोत्तर के पाँच राज्यों (अरुणाचल प्रदेश के कुछ भागों तथा असम, मणिपुर, मिज़ोरम एवं नागालैंड) तथा जम्मू एवं कश्मीर में प्रभावी है। ध्यात्वय है कि AFSPA को त्रिपुरा से 2015 में और मेघालय से 2018 में समाप्त कर दिया गया था।

AFSPA क्या है?

- यह अधिनियम शांति बहाली के लिये 'अशांत क्षेत्रों' में लागू किया जाता है।
- AFSPA राज्य/संघ शासित प्रदेश के राज्यपाल को संपूर्ण राज्य या उसके आंशिक क्षेत्र को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित करने हेतु आधिकारिक अधिसूचना जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। इस अधिसूचना के पश्चात् केंद्र सरकार यह निर्धारित करती है कि उस राज्य/संघ शासित प्रदेश में सशस्त्र बलों को तैनात किया जाए अथवा नहीं।
- इस अधिनियम के तहत 'अशांत क्षेत्र' में ऐसे किसी व्यक्ति को बिना वॉरंट गिरफ्तार किया जा सकता है जिसके बारे में यह संदेह है कि उसने कोई संज्ञेय अपराध किया है या करने वाला है।
- इसमें यह भी प्रावधान है कि सशस्त्र बलों द्वारा किसी व्यक्ति, परिसंपत्ति की हथियार या गोला बारूद को बरामद करने के लिये बिना वॉरंट तलाशी ली जा सकती है और इसके लिये आवश्यक बल का इस्तेमाल किया जा सकता है।
- इस अधिनियम की धारा 5 में यह प्रावधान है कि सशस्त्र बलों द्वारा गिरफ्तार किये गए किसी व्यक्ति को यथाशीघ्र निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को सौंप दिया जाएगा तथा एक रिपोर्ट भी दी जाएगी।

AFSPA के विपक्ष में तर्क

- जिन क्षेत्रों में जब से AFSPA लागू है तब से ही इस अधिनियम का स्थानीय जनता एवं मानवाधिकार समर्थक व सामाजिक कार्यकर्त्ताओं द्वारा मुखर विरोध हो रहा है।
- इस अधिनियम के आलोचकों का तर्क है कि इस कानून के लागू होने के 60 वर्षों के बाद भी यह अशांत क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को बहाल करने में सफल नहीं हो पाया है जो साबित करता है कि यह कानून असफल है।
- आलोचकों का यह भी तर्क है कि सशस्त्र बलों को मिली अत्यधिक शक्तियाँ उन्हें असंवेदनशील और गैर-पेशेवर बनाती हैं।
- इस अधिनियम की आलोचना में कुछ संविधान विशेषज्ञों का यह तर्क है कि यह अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद-14, 19, 21 तथा 22 में वर्णित नागरिकों के मूल अधिकारों का भी उल्लंघन करता है जिससे लोकतंत्र की जड़ें कमज़ोर होती हैं।

AFSPA के पक्ष में तर्क

- निस्संदेह यह अधिनियम कठोर है किंतु आतंकवादियों और उग्रवादियों द्वारा पैदा की जा रही चुनौतियाँ भी बेहद गंभीर हैं।
- इससे प्रभावित क्षेत्रों और राजद्रोह के मामलों में सशस्त्र बल इस अधिनियम में मिली शक्तियों के आधार पर प्रभावशाली तरीके से अपने कार्य को संचालित कर पाते हैं जिससे देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित हो सके।
- आतंकवादियों एवं उग्रवादियों को प्राय: स्थानीय सहयोग प्राप्त हो जाता है जिससे इन गतिविधियों से निपटने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अत: इस तरह के क्षेत्रों में कानून व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने तथा सशस्त्र बलों के मनोबल को बढ़ाने के लिये इस कानून के प्रावधानों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

निष्कर्ष

एक लोकतांत्रिक देश में ऐसे कठोर कानून विरोधाभास अवश्य पैदा करते हैं, परंतु देश की आंतरिक सुरक्षा, एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने के लिये यह आवश्यक है कि अराजक तत्त्वों का सामना करने के लिये शासन के पास पर्याप्त अधिकार हों। साथ ही मानवाधिकार अनुपालन संबंधी तथा सशस्त्र बलों के संरक्षण संबंधी मुद्दों में उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही भी आवश्यक है। ■■■

का उपयोग करके भेजा जा सकता है जो इसे अप्राप्य (Untraceable) बनाता है। इसके साथ ही किसी भी डेटा स्थानीयकरण कानूनों के अभाव में भारत में अधिकांश कंपनियों के पास सर्वर नहीं हैं। विधि प्रवर्तन एजेंसियाँ पारस्परिक विधिक सहायता समझौतों के माध्यम से डेटा प्राप्त करती हैं। गौरतलब है कि इस प्रक्रिया को पूरा होने में लंबा समय लगता है।

- **डेटा प्रायवेसी कानून का अभाव :** भारत में वर्तमान में ऐसा कोई भी राष्ट्रीय निजता कानून प्रवर्तन में नहीं है जो डेटा चोरी के मामले में उत्तरदायित्व स्थापित करता हो अथवा सरकारी या निजी क्षेत्र पर किसी व्यक्ति का डेटा चोरी होने की स्थिति में किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति आरोपित करता हो।

भारत में निगरानी ढाँचा

- टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा-5 और इसके नियमों के तहत टेलीफोनिक निगरानी को मंज़ूरी दी गई है। यह कॉल डेटा रिकॉर्ड्स (सीडीआर) के प्रकटीकरण की अनुमति देता है, इसके अलावा जिसमें नंबर, कॉल की अवधि, समय और तारीख शामिल होते हैं।
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69 की उपधारा (1) और सूचना प्रौद्योगिकी (सूचना के अंतरावरोधन, निगरानी व विरूपण हेतु प्रक्रिया एवं सुरक्षोपाय) नियम, 2009 के द्वारा सम्मिलित रूप से भारत में इलेक्ट्रॉनिक निगरानी को अधिकृत किया गया है।
- आईटी अधिनियम की धारा 69 किसी भी व्यक्ति या संगठन को भारत की संप्रभुता/अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में समझी जाने वाली सूचना को विरूपित (Decrypt) करने में विधि प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता के लिये निर्देशित करती है।
- 1997 के पी.यू.सी.एल. बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निगरानी की प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को निर्धारित किया गया था। इन निर्देशों के अंतर्गत स्पष्ट किया गया था कि निगरानी अनुरोधों को कम से कम एक संयुक्त सचिव स्तर के प्राधिकारी द्वारा अधिकृत किया जाना चाहिये। 2007 में टेलीग्राफ अधिनियम के नियम 419 (क) के अंतर्गत इन रक्षोपायों को सम्मिलित किया गया था।
- गैर-कानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम, 1967, टेलीग्राफ अधिनियम के तहत अंतरावरोधित जानकारी को साक्ष्य के रूप में उपयोग करने की अनुमति देता है।
- आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धाराएँ 91 व 92 उन प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट करती हैं जिनके अंतर्गत न्यायालय, पुलिस और ज़िला मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति, डाक या टेलीग्राफ प्राधिकरण को किसी भी दस्तावेज़ या 'वस्तु' को जाँच, पूछताछ और परीक्षण हेतु प्रस्तुत करने के लिये बुलवा सकते हैं।

भारत में निगरानी के संभावित रास्ते

- **केंद्रीय निगरानी प्रणाली :** यह एक केंद्रीकृत टेलीफोन अंतरावरोधन प्रोविज़निंग प्रणाली है। इस प्रणाली के अंतर्गत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (TSPs) द्वारा इंटरसेप्ट किया गया सारा डेटा केंद्रीय और क्षेत्रीय डेटाबेस में एकत्रित और संग्रहीत किया जाता है। विधि प्रवर्तन एजेंसियाँ वास्तविक समय के आधार पर (Real Time Based) इंटरसेप्ट किये गए संचार तक पहुंच सुनिश्चित कर सकती हैं।
- **राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड :** यह ग्रिड नागरिकों की जानकारी एकत्रित करने के वाले कई सरकारी डेटाबेस (जैसे- बैंक, एयरलाइंस, सेबी, रेलवे और दूरसंचार ऑपरेटर) को आपस में लिंक करने का काम कर रही है।
- **नेत्र (नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस) :** यह एक ड्रगनेट इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली है जो कीवर्ड्स के आधार पर डायनामिक फिल्टर्स का उपयोग करके इंटरनेट ट्रैफिक पर नज़र रखती है।
- इसके अलावा डीएनए प्रोफाइलिंग बिल, अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (CCTNS), आधार डेटाबेस के तहत संग्रहीत बायोमेट्रिक्स, ब्रेन मैपिंग, आइरिस स्कैन, फिंगरप्रिंटिंग और जाँच में शारीरिक स्कैन इत्यादि के माध्यम से भी भारत में निगरानी की जा सकती है।

आगे की राह

- इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि इस प्रकार की सरकारी निगरानी प्रणाली का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निजता के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंकाएं अत्यधिक हैं। इस प्रभाव को समाप्त करने के लिये संसद को नियमित जानकारी प्रदान किये जाने के साथ निगरानी गतिविधियों को विनियमित करने और निगरानी करने में मदद करने के लिये एक 'निजता आयोग' का गठन किया जा सकता है।
- आधार विधेयक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में जानकारी के प्रकटीकरण की अनुमति देना केवल एक संयुक्त सचिव स्तर के प्राधिकारी में निहित होना असंवैधानिक है। भारतीय गोपनीयता संहिता, 2018 एक मॉडल बिल है, जो यह बताता है कि सभी संचार निगरानी और डेटा तक पहुँच संबंधी आदेशों को विशेष निगरानी समीक्षा न्यायाधिकरणों में पदासीन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
- आदेश के अनुसार, किये जाने वाले आवेदन के आधार व्यापक और अस्पष्ट शब्दों में हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी व्यापक शक्ति का दुरुपयोग किये जा सकने की संभावनाएँ बहुत बढ़ जाती हैं। असंवैधानिक निगरानी के माध्यम से प्राप्त किसी भी साक्ष्य को अदालत में अस्वीकार्य निर्धारित किया जाना चाहिये।
- राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत गोपनीयता के बीच संतुलन स्थापित करने के लिये बीएन श्रीकृष्ण समिति की सिफारिशों की तर्ज पर एक गोपनीयता कानून एक अच्छा शुरुआती कदम होगा। डेटा संग्रह की किसी भी प्रणाली में व्यक्तिगत निजता को होने वाली संभावित हानि की गणना की जानी चाहिये। इसके साथ ही इसमें नागरिकों की जानकारी की सुरक्षा के लिये प्रक्रियाएँ और प्रणालियाँ शामिल की जानी चाहिये। ■■■

Think IAS

दृष्टि The Vision

Think Drishti

दृष्टि पब्लिकेशन्स

की आगामी प्रस्तुति

प्रमुख आकर्षण

- आर्थिक सर्वेक्षण (2018–19) का संक्षिप्त एवं सटीक प्रस्तुतीकरण
- भाषायी त्रुटियों से रहित तथा अंग्रेज़ी के मूल आर्थिक सर्वेक्षण से तथ्यों का मिलान
- बजट (2019–20) के सभी महत्त्वपूर्ण पक्षों का समावेशन
- बजट के नीतिगत पहलुओं पर अतिरिक्त सामग्री
- आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट में उल्लिखित महत्त्वपूर्ण शब्दावली पर विशेष फोकस
- बजट में उल्लिखित योजनाओं का विश्लेषणात्मक विवरण

विस्तृत जानकारी के लिये कॉल करें– 8448485516, 87501-87501, 011-47532596

दृष्टि पब्लिकेशन्स की प्रमुख पुस्तकें

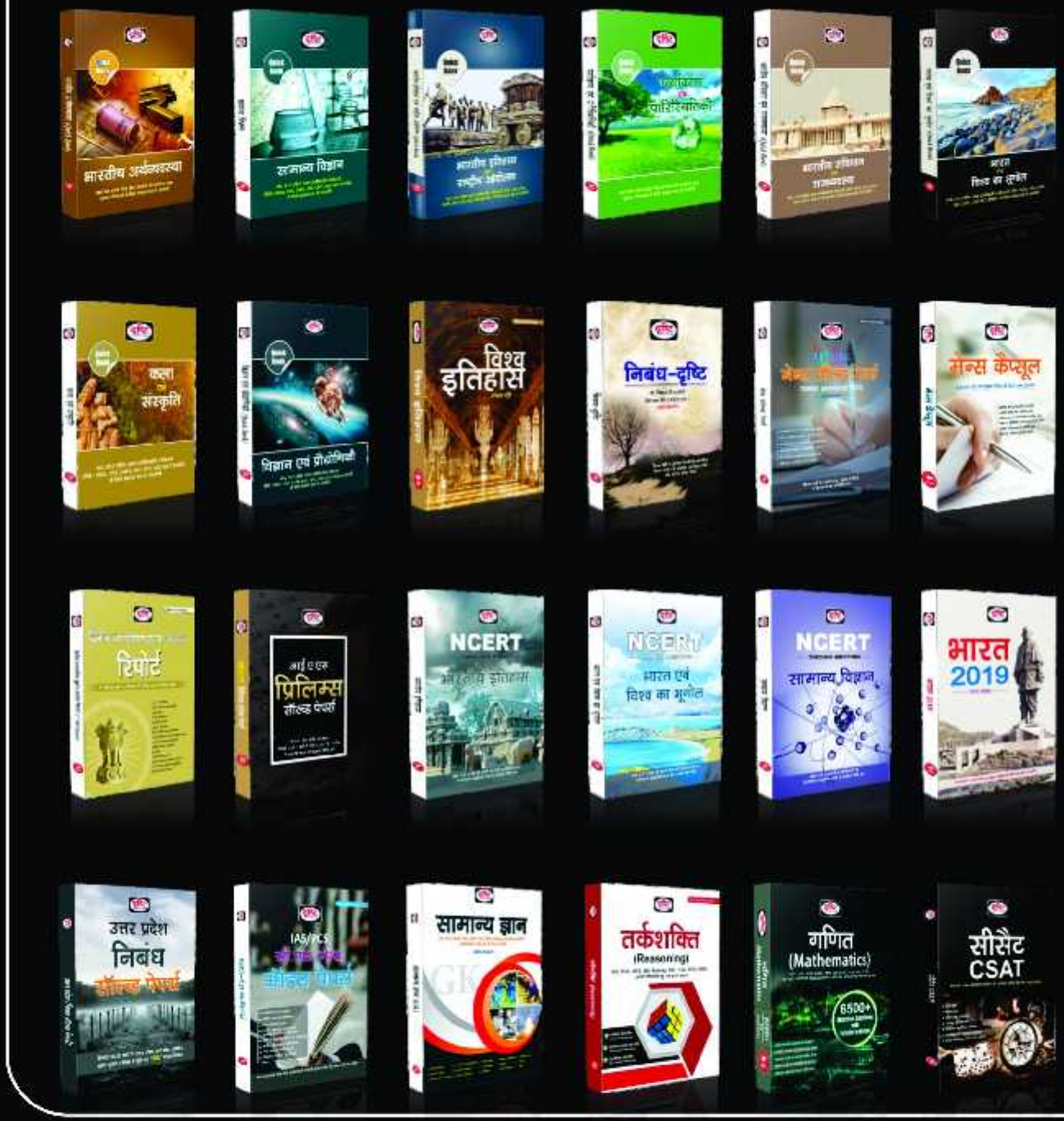

641, Ist Floor, Dr. Mukherji Nagar, Delhi-9, Ph.: 011-47532596, 87501 87501
Website: www.drishtipublications.com, www.drishtiias.com
E-mail: booksteam@groupdrishti.com

मूल्य : ₹ 200